

फॉर्म नं. एसएच-14

नामांकन रद्द करना या उसमें बदलाव करना

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 72 की उप-धारा (3) और कंपनी (शेयर पूंजी और डिबेंचर) नियम 2014 के नियम 19(9) के अनुसार]

कंपनी का नाम:

मैं/हम इसके द्वारा मेरे/हमारे द्वारा किया गया नामांकन जो नीचे उल्लिखित प्रतिभूतियों के संबंध में.....(नाम और पता नामांकित व्यक्ति) के पक्ष में किया गया है, उसे रद्द करता/करते हैं।

या

मैं/हम इसके द्वारा निम्नलिखित व्यक्ति को के स्थान पर नामित करते हैं। नीचे उल्लिखित प्रतिभूतियों के संबंध में नामांकित व्यक्ति के रूप में, जिसे मेरी/हमारी मृत्यु की स्थिति में ऐसी प्रतिभूतियों के संबंध में सभी अधिकार निहित होंगे।

(1) प्रतिभूतियों का विवरण (जिनके संबंध में नामांकन रद्द/विविध किया जा रहा है)

प्रतिभूतियों की प्रकृति	फोलियो सं.	प्रतिभूतियों की संख्या	प्रमाणपत्र संख्या	विशिष्ट सं.

(2) (क) नामित लोगों का विवरण -

i. नाम:

ii. जन्म तिथि:

iii. पिता/माता/पति का नाम:

iv राष्ट्रीयता:

v. पता:

vi ई-मेल आईडी:

vii. प्रतिभूति धारक के साथ संबंध:

(ख) यदि नामांकित व्यक्ति नाबालिग है-

i. जन्म तिथि:

ii. बालिग होने की तिथि

iii. अभिभावक का नाम:

iv अभिभावक का पता:

हस्ताक्षर

प्रतिभूति धारक का नाम

नाम और पते के साथ गवाह